न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा
राजस्व लोक अदालत–न्याय आपके द्वार 2018

पीठासीन अधिकारीः–राजलक्ष्मी गहलोत, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बरः– 51/2017 वाद पत्र

उनवान

1–श्रीमति बाली देवी पत्नी शान्तिलाल कुमावत निवासी पाटियाखेडा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2–श्रीमति गंगा देवी पत्नी भैरूलाल कुमावत निवासी पाटियाखेडा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1– श्रीमति पप्पु देवी पत्नी भीमराज कुमावत निवासी पाटियाखेडा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2–सुरेश चन्द्र पिता धन्ना (खटोड) कुमावत निवासी गाडरी खेडा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3–बाबुलाल पिता आसु भील निवासी भीलखेडी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
4–लैण्ड होल्डर जरिए तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित
जाकिर हुसैन–

अधिवक्ता वादीगण

निर्णय

दिनांक 13.06.2018

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार/केम्प कोर्ट गलवा में पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम थला पटवार हल्का थला के बैरून हल्का आबादी मे वादीगण खातेदारी अधिकारों की कृषि आराजियात खाता संख्या 615 में अंकित कृषि आराजी संख्या 1943/1103 रकबा 0.25 है0 तथा खाता संख्या 626 में अंकित आराजी संख्या 1082 रकबा 0.08 है0, आराजी संख्या 1944/1103 रकबा 0.18 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.26 है0 व खाता संख्या 162 में अंकित आराजी संख्या 1083 रकबा 0.13 है0 आराजी संख्या 1102 रकबा 0.52 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.65 है0 भूमि स्थित है। प्रमाण मे वर्तमान जमाबंदी एवं नक्शा ट्रैस वादपत्र के साथ प्रस्तुत है। वादपत्र की कलम संख्या एक में अंकित कृषि आराजियात वादीगण के स्वामित्व एवं आधिपतय की है तथा उक्त कृषि भूमि पर वादीगण काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। परंतु वादीगण ग्राम पाटियाखेडा के निवासी है तथा भूमि ग्राम थला में स्थित है जिससे वादीगण हमेशा अपनी भूमि पर नहीं आ पाते जिसका नाजायज फायदा उठाकर प्रतिवादीगण ने मई 2016 में वादीगण के कब्जे काश्त एवं खातेदारी भूमि में जबरन अवैद्य कब्जा करना शुरू कर दिया। वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को रोकने का काफी प्रयास किया परंतु प्रतिवादीगण नहीं माने तथा कहने लगे कि ये हमारी जमीन है तुम्हारा यहां कोई हक अधिकार नहीं है। प्रतिवादीगण का उक्त कृत्य विधि विरूद्ध होकर गैरकानूनी है प्रतिवादीगण को वादीगण के कब्जे काश्त एवं खातेदारी भूमि पर अवैद्य कब्जा करने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि पर अवैद्य कब्जा करना शुरू करने पर वादीगण ने अपनी कृषि आराजियात की पत्थरगढी करवाई जिसका मौका पर्चा तैयार किया गया जिसमें वादीगण की वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी संख्या एक का 0.02 है0 तथा प्रतिवादी संख्या दो का 0.50 है0 एवं प्रतिवादी संख्या तीन का 0.16 है0 पर अवैद्य कब्जा पाया गया। वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को वादग्रस्त भूमि से प्रतिवादीगण का कब्जा हटाने बाबत् कहा तो प्रतिवादीगण इन्कार हो गए। प्रमाण में पत्थरगढी के निर्णय दिनांक 05.07.2016 की प्रति व पर्चा मौका दिनांक 15.05.2017 की प्रमाणित प्रति वाद पत्र के साथ पेश है। वादीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि पर प्रतिवादीगण को अवैद्य कब्जा करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। वादीगण की भूमि की पत्थरगढी होने के बाद वादीगण ने प्रतिवादीगण को वादीगण की भूमि पर किए गए अवैद्य कब्जे को हटाने बाबत् कहा तो प्रतिवादीगण ने वादीगण की भूमि से अवैद्य कब्जा हटाने से मना कर दिया तथा वादीगण को जाने से मारने की धमकियां देने लग गए। प्रतिवादीगण को वादीगण की भूमि पर जबरन कब्जा रखने का कोई विधिक अधिकार नही है जिससे वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध बेदखली की डिक्री जारी फरमाई

जाकर वादीगण की भूमि से प्रतिवादीगण का अवैद्य कब्जा हटवाया जाकर वादीगण को कब्जा दिलाया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित हो गया है। प्रतिवादीगण ने वादीगण की भूमि पर नाजायज अवैद्य कब्जा कर रखा है तथा वादीगण की भूमि में खडे पेडों को काट रहे हैं तथा वादीगण की भूमि पर जबरन पक्का निर्माण करने पर आमादा है। जिससे प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाना आवश्यक हो गया है। प्रतिवादीगण वादीगण की भूमि पर अवैद्य कब्जा कर फसल काश्त कर फसल लाभ ले रहे हैं, जिससे प्रतिवादीगण से वादीगण को मई 2016 से प्रतिवादीगण का अवैद्य कब्जा हटाए जाने तक प्रतिवर्ष 5000/– पांच हजार रूपए अन्तःकालीन लाभ के रूप में दिलाए जाने की डिक्री जारी फरमाई जाए। वादीगण को प्रतिवादीगण के विरूद्ध बिनाय वाद दिनांक 15.05.2017 को वादीगण की भूमि पर प्रतिवादीगण का अवैद्य कब्जा होने की जानकारी होने तथा उसके पश्चात वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को अवैद्य कब्जा हटाने की बात कहने पर प्रतिवादीगण द्वारा इन्कार कर देने से उत्पन्न होकर निरंतर जारी है।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 05.07.2017 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे प्रतिवादी संख्या 1 से 3 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई। राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2018 में भी नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में वादीगण के अधिवक्ता उपस्थित है। प्रतिवादीगण उपस्थित नही है। वादीया बाली देवी पत्नी शांतिलाल द्वारा शपथ पत्र पर बयान पेश किये जो शामिल पत्रावली किये गए। वादी के अधिवक्ता द्वारा दस्तावेज की सूची पेश कि जो शामिल पत्रावली कि गई।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा एकतरफा बहस सुनी गयी तथा बहस पर मनन किया गया। जमाबन्दी संख्या 2071–74 के खाता संख्या 615 खाता संख्या 626 एवं खाता संख्या 162 में वादग्रस्त भूमि के खाता संख्या 615 में साउ देवी पत्नि धन्ना खटोड के, खाता संख्या 626 में सुरेश पिता धन्ना कुमावत, तथा खाता संख्या 162 में जोधराज, बालुराम, कालुराम पिता दौला, सायरी, सोसर, पुत्रियां दौला, घीसू, पन्ना पिता गोकल, नन्दू पत्नि गोकल हि0 ब0 के नाम खातेदारी हक से अंकित होकर जरिये नामान्तरकरण 813 दिनांक 23.07.2014, 814 दिनांक 23.07.2014, 832 दिनांक 03.12.2014 से वादियों के नाम अंकित हैं। इस न्यायालय के पूर्व प्रकरण संख्या 53/2016 में दिनांक 15.05.2017 को पत्थरगढी की गई उसका पर्चा मौका अनुसार 0.02 हैक्टे. पर पप्पू देवी पत्नि भीमराज कुमावत 0.50 हैक्टे. पर सुरेश चन्द्र धन्ना खटोड तथा 0.16 हैक्टे. पर बाबूलाल भील का नाजायज कब्जा होना पाया गया हैं। इसलिये वादीगण की वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी संख्या एक का 0.02 है0 तथा प्रतिवादी संख्या दो का 0.50 है0 एवं प्रतिवादी संख्या तीन का 0.16 है0 पर अवैद्य कब्जा हटाने का आदेश दिया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी अपने वाद पत्र को सिद्ध कराने मे सफल रहने के कारण वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाना न्यायालय उचित समझता है। अतः

आदेश

ग्राम थला की आराजी संख्या 1943/1103 रकबा 0.25 हे0 1082 रकबा 0.08 है0 1944/1103 रकबा 0.18 है0 1083 रकबा 0.13 है0 आराजी संख्या 1102 रकबा 0.52 है0 में से वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी संख्या एक का 0.02 है0 तथा प्रतिवादी संख्या दो का 0.50 है0 एवं प्रतिवादी संख्या तीन का 0.16 है0 पर अवैद्य कब्जा हटाने का आदेश तहसीलदार रायपुर को दिया जाता है। तद्नुसार डिक्री जारी हो।

राजलक्ष्मी गहलोत
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 13.06.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

मूल वाद मे डिक्री
(आदेश 20 रूल्य 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः–राजलक्ष्मी गहलोत, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बरः– 51/2017 वाद पत्र

उनवान

1–श्रीमति बाली देवी पत्नी शान्तिलाल कुमावत निवासी पाटियाखेडा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2–श्रीमति गंगा देवी पत्नी भैरूलाल कुमावत निवासी पाटियाखेडा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा **वादीगण**

बनाम

1– श्रीमति पप्पु देवी पत्नी भीमराज कुमावत निवासी पाटियाखेडा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2–सुरेश चन्द्र पिता धन्ना (खटोड) कुमावत निवासी गाडरी खेडा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3–बाबुलाल पिता आसु भील निवासी भीलखेडी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
4–लैण्ड होल्डर जरिए तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा **प्रतिवादीगण**

वाद पत्र अंतर्गत धारा 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वाद वादी स्वीकार किया जाता है व डिकी दी जाती है कि ग्राम थला की आराजी संख्या 1943/1103 रकबा 0.25 हे0 1082 रकबा 0.08 है0 1944/1103 रकबा 0.18 है0 1083 रकबा 0.13 है0 आराजी संख्या 1102 रकबा 0.52 है0 में से वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी संख्या एक का 0.02 है0 तथा प्रतिवादी संख्या दो का 0.50 है0 एवं प्रतिवादी संख्या तीन का 0.16 है0 पर अवैद्य कब्जा हटाने का आदेश तहसीलदार रायपुर को दिया जाता है।

यह आज तारीख 13/06/2018 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

राजलक्ष्मी गहलोत
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

... संख्या
... 1103 रकबा 0.25 हैक्ट. तथा
1944/1103 रकबा ... आकत आ.सं. 1082 रकबा 0.08 ...